[2021] 12 एस. सी. आर. 94

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

बनाम

महेशभाई टीनाभाई रथ और अन्य

(2014 की सिविल अपील संख्या 11477)

16 दिसंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और हिमा कोहली, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 34-एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए देरी को माफ करने के लिए न्यायालय की शक्ति-तत्काल

मामले में, मध्यस्थता पुरस्कार अपीलार्थी के पक्ष में 28.02.2011 पर पारित किया गया और पुरस्कार की प्रति दोनों पक्षों को भेजी गई-इसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से देय राशि की वसूली के लिए 27.06.2011 पर निष्पादन याचिका दायर की-प्रत्यर्थी ने 04.01.2012 पर s के तहत याचिका दायर करके मध्यस्थता पुरस्कार पर हमला किया। 34 एस के तहत प्रस्ताव की सूचना के साथ अधिनियम 1996 का। 5 185 दिनों की देरी जो एस के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक है, की माफी की मांग करने वाले सीमा अधिनियम की धारा। 34 (3) अधिनियम 1996-एकल न्यायाधीश ने प्रस्ताव के नोटिस पर विचार करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने पुरस्कार वाले पंजीकृत पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस दृष्टिकोण से, देरी को माफ करने से इनकार कर दिया-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने देरी को माफ कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए सीमा अवधि एस के तहत निर्धारित की गई है। 34 अधिनियम 1996-जिस सीमा तक किसी पुरस्कार को अलग रखने में देरी को माफ किया जा सकता है, वह परंतुकों के तहत सीमित है। 34 (3) अधिनियम 1996 का - सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित अवधि से आगे की देरी को माफ करने के लिए लागू नहीं होती है। 34 अधिनियम 1996-डिवीजन बेंच को आकस्मिक तरीके से देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया गया था-एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

यह उनका मामला था कि अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत 04.01.2012 पर दायर मध्यस्थता याचिका पुरस्कार की जानकारी होने पर थी, जो प्रतिवादी के अनुसार 15.11.2011 पर थी जब निष्पादन याचिका में नोटिस प्राप्त हुआ था। शपथ पत्र में

94 महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वी. महेशभाई टीनाभाई रथौड

एकल न्यायाधीश द्वारा जवाब को नोट किया गया था, जिसके अनुसार यह रिकॉर्ड पर लाया गया था कि मध्यस्थ ने विनियामक द्वारा लिफाफे पर एक शिलालेख, 'पुरस्कार' बनाकर 28.02.2011 दिनांकित 15.03.2011 पर पुरस्कार भेजा था। स्वीकृति देय के बाद। डाक प्राधिकरण द्वारा 23.03.2011 पर प्राप्त करने से इनकार करने का समर्थन किया गया था। उचित मामलों में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए ताकि मेधावी मामले को पराजित न किया जा सके। हालाँकि, यह केवल तभी उत्पन्न होगा जब सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति उपलब्ध होगी।

व्यायाम किया। कटिजी का मामला ऐसा है जहाँ ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध थी क्योंकि इसे बाहर नहीं किया गया था। तत्काल मामले में जहां सीमा निर्धारित की गई है, जिस हद तक इसे माफ किया जा सकता है, वह सीमित है और इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक देरी को माफ करने के लिए लागू नहीं होती है, डिवीजन बेंच ने आकस्मिक तरीके से देरी को माफ करने में उचित नहीं माना। [पैरा 8,10] [101-ए-सी; 102-बी-डी]

भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8

एस. सी. सी. 470 [2001] 3 पूरक। एससीआर 619; हिमाचल राज्य

प्रदेश और अन्र। बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर और ए. एन. आर. (2010) 12 एससीसी 210 [2010] 8 एससीआर 1025; पी. राधा

बाई वी। पी. अशोक कुमार (2019) 13 एससीसी 445: [2018] 12

एस. सी. आर. 143; चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम। भयान बायुल्डर्स

प्राइवेट लिमिटेड (2021) 4 एस. सी. सी. 602-पर निर्भर था।

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य v.

एमएस. काटीजी और अन्य ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1353: [1987] 2

एस. सी. आर. 387-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2010] 8 एससीआर 1025

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.1

[2018] 12 एससीआर 143

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.2

(2021) 4 एस. सी. सी. 602

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.3

[1987] 2 एससीआर 387

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 10

[2021] 12 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.11477

2014 से। बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2012 से 2012 की अपील No.526 में प्रस्ताव की सूचना में

2012 की मध्यस्थता याचिका No.209 में 2012 की No.925।

के साथ

2014 की सिविल अपील No.11478।

प्रशांत कुमार, अमित सिंह, मेरुसागर सामंताराय, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

2. उपरोक्त अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण सुविधा का लाभ उठाया और लेन-देन के संबंध में पक्षों के बीच दिनांक 366533 दिनांक 24.10.2005 पर एक समझौता किया गया था। इन अपीलों के निपटारे के उद्देश्य से योग्यता के आधार पर लेन-देन से संबंधित आगे के विवरणों को विज्ञापित करना अनावश्यक है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाता है कि अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के कारण, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू करके इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था। विद्वान मध्यस्थ ने 28.02.2011 दिनांकित पुरस्कार पारित किया और अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे की अनुमति दी। कहा जाता है कि विद्वान मध्यस्थ ने देय पंजीकृत डाक पावती के माध्यम से दोनों पक्षों को पुरस्कार की प्रति भेजी है। इसके बाद अपीलार्थी ने पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को निष्पादित करने के लिए 27.06.2011 पर एक निष्पादन याचिका दायर की।

वी. महेशभाई तिनाभाई राथोड [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

और प्रत्यर्थी द्वारा देय और देय राशि की वसूली करें। सिविल जज, जिला अदालत, भावनगर की अदालत से प्रतिवादी को फांसी की याचिका का नोटिस जारी किया गया था।

3. प्रत्यर्थी, उस स्तर पर, 04.01.2012 पर मध्यस्थ पर हमला किया

अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर करके 28.02.2011 दिनांकित पुरस्कार। उस समय तक अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) के तहत अनुमत समय अवधि से परे 185 दिनों की देरी हो चुकी थी। इसलिए याचिका के साथ, प्रतिवादी ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत 2012 की मध्यस्थता याचिका में 2012 की मध्यस्थता याचिका No.209 और 2012 की मध्यस्थता याचिका No.212 में 2012 की प्रस्ताव सूचना No.925 दायर की, जिसमें देरी को माफ करने की मांग की गई, यह तर्क देते हुए कि प्रतिवादी को कार्यवाही की जानकारी केवल तभी थी जब निष्पादन अदालत से 15.11.2011 पर समन प्राप्त किया गया था। इसमें अपीलार्थी ने प्रस्ताव की सूचना पर अपनी आपत्ति दर्ज की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका में प्रस्ताव की सूचना पर विचार करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने पुरस्कार वाले पंजीकृत पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस दृष्टिकोण से, देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। इसलिए प्रत्यर्थी ने विद्वत खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने एक गुप्त आदेश द्वारा वैधानिक प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के खिलाफ देरी को माफ कर दिया है। इसलिए अपीलकर्ता व्यथित है और मांग कर रहा है कि विद्वत खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप

प्रतिवादी द्वारा धारा 34 के तहत दायर याचिका अधिनियम 1996 को समय द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया जाए।

अधिनियम 1996 की धारा 34 उसमें प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर थी। यदि नहीं, तो क्या सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग करके देरी को माफ किया जा सकता है? इस संबंध में क्या विद्वत खंड पीठ की अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) के तहत किसी कार्यवाही पर सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके देरी को माफ करने की कार्रवाई उस तरीके से उचित है जिस तरह से उसने तत्काल मामले में किया है? 6. मामले को उसके सही परिप्रेक्षय में समझने के लिए अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) पर ध्यान देना आवश्यक है।

सीमा की अवधि, जो इसके नीचे दी गई है:

- [2021] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक था तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया, यह आवेदन पर विचार कर सकता है।

तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर, लेकिन उसके बाद नहीं।

7. स्वयं होने के कारण देरी को माफ करने के लिए उपलब्ध गुंजाइश

लागू सीमा अधिनियम की धारा 34 (3) और धारा 5 के प्रावधान में निहित इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के लेख में ध्यान दिया गया है।

आयन, जिन्हें हम नोट कर सकते हैं। भारत संघ बनाम लोकप्रिय

निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470 को इसके तहत आयोजित किया गया है: -

संबंधित, महत्वपूर्ण शब्द "लेकिन उसके बाद नहीं" उप-धारा (3) के परंतुक में उपयोग किए जाते हैं। हमारी राय में, यह वाक्यांश धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा। सीमा अधिनियम, और इसलिए के आवेदन को रोक देगा

उस अधिनियम की धारा 5। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, वाक्यांश को "लेकिन उसके बाद नहीं" पूरी तरह से अनुचित बना देगा। व्याख्या का कोई भी सिद्धांत इस तरह के परिणाम को उचित नहीं ठहराएगा।

14. यहाँ 1996 के अधिनियम का इतिहास और योजना का समर्थन करता है

यह निष्कर्ष निकालना कि धारा 34 के तहत निर्धारित समय-सीमा

सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा किसी पुरस्कार को चुनौती देना पूर्ण और अनिश्चित है। मध्यस्थता और सुलह विधेयक, 1995, जो 1996 के अधिनियम से पहले था, ने अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में कहा कि "मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करने की आवश्यकता है" इस उद्देश्य को अधिनियम की धारा 5 में अभिव्यक्ति मिली है जो न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को बिना किसी अनिश्चित शर्त के निर्धारित करती है:

" 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा

जहाँ इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया है। [अहिंद्र एंड महिंद्र फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वी. महेशभाई तिनाभाई राथोड [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

16. इसके अलावा, धारा 34 (1) स्वयं इस बात का प्रावधान करती है कि

धारा 34 में उल्लिखित अवधि के बाद दायर किया गया आवेदन, उप-धारा (3) उस उप-धारा के अनुसार आवेदन नहीं होगी। नतीजतन, धारा 34 (1) के आधार पर, मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा निर्धारित अवधि से अधिक नहीं लिया जा सकता है। धारा के तहत निर्धारित अवधि का महत्व

34 धारा 36 के प्रावधानों द्वारा जोर दिया जाता है जो प्रदान करते हैं

कि

" जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है. पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत लागू किया जाएगा।

जिस तरह से यह अदालत का आदेश था "।

यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों से एक महत्वपूर्ण विचलन है। 1940 के अधिनियम के तहत, पुरस्कार को रद्द करने का समय समाप्त होने के बाद, अदालत को "निर्णय देने के लिए आगे बढ़ना" आवश्यक था

पुरस्कार के अनुसार निर्णय, और इस प्रकार निर्णय पर

एक डिक्री का पालन किया जाएगा "(धारा 17)। अब यह

1996 की धारा 34 के तहत समाप्त होने वाले समय का परिणाम

अधिनियम यह है कि न्यायालय के किसी भी आगे के कार्य के बिना पुरस्कार तुरंत लागू हो जाता है। यदि धारा 34 में उपयोग की गई भाषा की व्याख्या पर कोई अवशिष्ट संदेह था, तो योजना

1996 के अधिनियम की धारा के संचालन को हटाकर अदालत की शक्तियों में कटौती के पक्ष में मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

5 सीमा अधिनियम।

7.1 इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और अन्र राज्य में। बनाम हिमाचल कोई इंजीनियर नहीं और ए. एन. आर. (2010) 12 एस. सी. सी. 210 को निम्नलिखित रूप में नोट और आयोजित किया गया था: -

" 2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम", संक्षेप में) की धारा 34 के तहत एक याचिका अपीलार्थी द्वारा 11 पर दायर की गई थी।

3-2008 , मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देना। याचिका यह थी कि

धारा की उप-धारा (3) के तहत आवेदन के साथ

34 याचिका दायर करने में 28 दिनों की देरी को माफ करने के लिए अधिनियम। प्रतिवादी ने यह तर्क देते हुए आवेदन का विरोध किया कि [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 के तहत याचिका 3 महीने और 30 दिनों की अवधि से आगे दायर की गई थी और इसलिए, खारिज होने योग्य थी।

5. अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधान अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिकाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे। जबकि सीमा अधिनियम की धारा 5 के संबंध में कोई बाहरी सीमा नहीं है विलंब की अवधि जिसे माफ किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (3) का परंतुक "तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं" शब्दों का उपयोग करके क्षमा योग्य विलंब की अवधि पर एक सीमा निर्धारित करता है। इसलिए, यदि कोई याचिका तीन महीने की निर्धारित अवधि से आगे दायर की जाती है, तो अदालत को केवल तीस दिनों की सीमा तक देरी को माफ करने का विवेकाधिकार है, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। जहां एक याचिका तीन महीने और तीस दिनों से अधिक समय में दायर की जाती है, भले ही पर्याप्त कारण बना दिया गया हो, देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।

7.2 यही दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा पी. राधा बाई बनाम पी. अशोक कुमार (2019) 13 एस. सी. सी. 445 में लिया गया था जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है। [एच. पी. बनाम राज्य हिमाचल टेक्नो इंजीनियर (2010) 12 एस. सी. सी. 210], असम शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष परियोजनाएं और एम. के. टी. जी. लि.

(2012) 2 एस. सी. सी. 624 और अनिल कुमार जीनाभाई पटेल बनाम प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल (2018) 15 एससीसी 178] "

7.3 अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित देरी को माफ करने और सीमा बढ़ाने में सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू न होने से संबंधित विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर इसके तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने ध्यान दिया।

अदालत ने मंजूरी के साथ, चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम भयाना बायुल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (2021) 4 एस. सी. सी. 602 में।

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वी. महेशभाई तिनाभाई राथोड [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

पुरस्कार, जो प्रतिवादी के अनुसार 15.11.2011 पर था जब निष्पादन याचिका में नोटिस प्राप्त हुआ था। जवाब में हलफनामे को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नोट किया गया था, जिसके अनुसार यह रिकॉर्ड पर लाया गया था कि विद्वान मध्यस्थ ने विनियामक द्वारा लिफाफे पर एक शिलालेख, 'पुरस्कार' बनाकर 28.02.2011 दिनांकित पुरस्कार 15.03.2011 पर भेजा था। स्वीकृति देय के बाद। डाक प्राधिकरण द्वारा 23.03.2011 पर प्राप्त करने से इनकार करने का समर्थन किया गया था। गुजराती में डाक टिप्पणी "लेनवी ना पडे चे" (स्वीकार करने से इनकार) को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नोट किया गया था। आदेश के पैरा 9 और 10 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए इनकार की तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया है। और उस मोर्चे पर कोई इनकार नहीं है। इस संदर्भ में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला: -

" विद्वान मध्यस्थ द्वारा याचिकाकर्ताओं को भेजे गए लिफाफे, जिन्हें डाक अधिकारियों द्वारा मध्यस्थ को इस आधार पर लौटा दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने उनकी सेवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, अदालत में खोले जाते हैं और यह ध्यान दिया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ ने याचिकाकर्ताओं को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रतियां भेज दी थीं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने मध्यस्थता पुरस्कार की प्रतियों वाले लिफाफों की सेवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इनकार करना सेवा
कानून में अच्छी सेवा है। इसे ध्यान में रखते हुए माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं को 23 मार्च, 2011 को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने लगभग 197 दिनों की देरी के

बाद केवल जनवरी, 2012 को याचिका दायर की है। यह मुद्दा कि क्या अधिनियम की धारा 34 (3) का प्रावधान, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को हटाने का प्रभाव रखता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 53 में स्पष्ट रूप से कहा है, अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को हटाने का प्रभाव रखते हैं। ”

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस दृष्टिकोण से कानूनी स्थिति पर ध्यान दिया और देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। तदनुसार प्रस्ताव की सूचना को खारिज कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इसके विपरीत, विद्वत खंड पीठ द्वारा पारित आदेश का अवलोकन पूर्व-दृष्टि से इंगित करता है कि यह एक स्पर्शरेखा पर आगे बढ़ा है। उस पर

इस तर्क का उल्लेख करते हुए कि प्रतिवादी एक किसान था और कोई राशि देय नहीं है, कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य बनाम एमएसटी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। काटीजी और अन्य

ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1353 संदर्भ से बाहर है और अपील की अनुमति देने के लिए इसे आधार बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 197 दिनों की देरी बहुत अधिक नहीं लग सकती है। उचित मामलों में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए ताकि मेधावी मामले को पराजित न किया जा सके। हालाँकि, यह केवल तभी उत्पन्न होगा जब सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हो। कटिजी (उपरोक्त) का मामला ऐसा है जहाँ ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध थी क्योंकि इसे बाहर नहीं किया गया था। तत्काल मामले में जहां सीमा निर्धारित की गई है, जिस हद तक इसे माफ किया जा सकता है वह सीमित है और

इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम 1996 की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक की देरी को माफ करने के लिए लागू नहीं होती है, विद्वत खंड पीठ ने आकस्मिक तरीके से देरी को माफ करना उचित नहीं ठहराया। दिनांकित 24.09.2012 आदेश टिकाऊ नहीं है, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

11. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

12. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपीलों

की अनुमति दी गई।